राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ0 राधाकृष्ण शिक्षा संकुल परिसर मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राज0

क्रमांकः एफ 1( )/संस्थापन/असमावि/क.सहा.भर्ती/पार्ट–II/2019/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(6)प्र.सु./अनु.–3/2017 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवंटन किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 38 के अन्तर्गत इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7(2)डीओपी/क–2/ 2005 दिनांक 20.01.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम–2017 के आदेश कमांक एफ (15)(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानों के नियम–16 की अनुसूची–IV के अन्तर्गत स्थिर पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 14600/– प्रतिमाह एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 17 के अनुसरण में इनके द्वारा 02 वर्ष का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पे–मैट्रिक लेवल–5 में अद्योलिखित शर्तों पर कनिष्ठ सहायक के पद पर उनके नाम के आगे अंकित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में कार्यभार संभालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है।

क्र. सं.	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यार्थी	पिता का नाम	वर्ग	जन्म दिनांक	आवंटित जिला पदस्थापित कार्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	491970	319	श्री हिम्मत सिंह भाटी	श्री मोतीसिंह भाटी	GEN	20.6.1985	चित्तौडगढ
2	259998	881	श्री हर्षचारण	श्री मनोहर दान	BC	01.01.1995	जैसलमेर

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते है कि वे आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें। किसी कारणवश 10 दिवस में उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें कि ये कब तक कार्यभार ग्रहण करेगें। निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. यदि उक्त सारणी में अंकित अभ्यर्थी पूर्व से ही राज्य सेवा में कार्यरत है, तो उन्हें विकल्प के आधार पर राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होगें, परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. परिवीक्षाकाल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

4. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 के नियम 16 की अनुसूची–IV के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होगें। Fixed Remuneration पर कार्य करने की अपनी सहमति पदस्थापन कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा–मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता आदि देय नहीं होगें।

5. यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय पृथक किया जा सकेगा।

6. यह नियुक्ति पूर्णतयाः अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में, जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ सहायक के पद पर राजस्थान अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 39 के अन्तर्गत स्थाई किया जायेगा।

7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत ही इनका नियमानुसार वेतन निर्धारण करं अन्य भत्ते देय होगें।

8. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में उपरोक्त अभ्यर्थियों को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के अवकाश देय नहीं होगें।

9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

10. यदि उपरोक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा फर्जी पाये जाते है तो इनकी सेवाऐं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

11. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। जो अपरिवर्तनीय है।

12. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से जारी मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।

13. उपरोक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

14. दस्तावेज सत्यापन के दौरान उपरोक्त अभ्यर्थियों से वांछित दस्तावेज/शपथ पत्र आदि प्राप्त कर लिये है।

Sd/-
(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांकः एफ 1( )/संस्थापन/असमावि/क.सहा.भर्ती/पार्ट–ाा/2019/ 4165-98 दिनांक : 17/6/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (नियम) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग को पत्र कमांक प.1(6)प्र.सु./अनु–3/2017 दिनांक 14.02.2019 के क्रम में।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
8. संबंधित, कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ... ।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी कार्यालय हाजा।
10. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चित्तौडगढ/जैसलमेर को भेजकर लेख है कि नव नियुक्त कनिष्ठ सहायकों को कार्यभार ग्रहण करने पर आपके कार्यालय में स्वीकृत पदों की सीमा से अधिक पदस्थापन की स्थिति में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ सहायक की संविदा सेवाऐं नवनियुक्त नियमित कार्मिक के कार्यग्रहण करने के साथ ही स्वतः समाप्त मानते हुंए तत्काल कार्यमुक्त करने की व्यवस्था आप अपने स्तर से सुनिश्चित करे।
11. संबंधित अभ्यर्थी श्री ....
12. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देश है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
13. रक्षित पत्रावली कार्यालय हाजा।

अतिरिक्त निदेशक

Destop/Math./sourabh/Letters-2/240